

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर-208002

पत्रांक : सीएसयूएच(आर)- 257 / 2026

दिनांक : सितम्बर 18, 2026

आदेश

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में याचिका संख्या-9218/2025 (हिमांशु मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 16.09.2026 के अनुपालन में विज्ञापन संख्या-07/2026 में उल्लिखित General Instructions for the Walk-in Interview के बिन्दु संख्या-3 सम्बन्धित विज्ञापन से विरत किया जाता है।

यह परिवर्तन मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन है तथा उक्त निर्णय के विरुद्ध योजित होने वाली स्पेशल अपील के अधीन रहेगा, उक्त निर्णय से आच्छादित अभ्यर्थियों का साक्षत्कार भी मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा।

(रेनू सिंह)

निदेशक,

प्रशासन एवं मानीटरिंग

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभारी, ए0के0एम0यू0 को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित आदेश को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
2. कुलपति के तकनीकी सचिव को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।

(रेनू सिंह)

निदेशक,

प्रशासन एवं मानीटरिंग